पत्र सं0--21/रा.सू.आ.-05/2016 सा0प्र0

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक.........

विषय:- राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश से अवगत कराने के संबंध में।

प्रसंग:- राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 804 दिनांक 20.04.2017.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 11.04.2017 को पारित आदेश में यह रेखांकित किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सरकार के एक विभाग द्वारा सरकार के ही दूसरे विभाग से सूचना की माँग की जा रही है। राज्य सूचना आयोग के अनुसार राज्य सरकार के विभागों के बीच समस्याओं का निदान उनके बीच समन्वय के माध्यम से होना चाहिए। इसके लिए सूचना के अधिकार प्रयोग करना उचित नहीं है। सूचना का अधिकार नागरिकों को दिया गया है जिसके माध्यम से वे आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते है (संदर्भित आदेश की प्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे)
सरकार के अपर सचिव।

प्रधान सचिव, ऊर्जा का कोषांग,
डायरी संख्या.........
दिनांक.........

Raj Suchna Ayoge

राज्य सूचना आयोग

सूचना भवन, चौथा तल्ला, बेली रोड, बिहार, पटना।

दूरभाष– 2215713, 2235059 फैक्स–2235466

वाद संख्या–ए 770/2017

श्री अजय कुमार सिन्हा

बनाम

प्रथम अपीलीय प्राधिकार, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना/ लोक सूचना पदाधिकारी, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना।

" अपीलकर्ता उपस्थित है। लोक सूचना पदाधिकारी उपस्थित है। प्रपत्र–क के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचना की माँग सरकार के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से की गई है। यह सचिवालय कर्मियों के लिए प्रवेश पत्र निर्गत करने से संबंधित है। आयोग महसूस करता है कि इस प्रकार की समस्या का निदान सचिवालय के ही विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के माध्यम से होना चाहिए। इसके लिए सूचना के अधिकार का प्रयोग करना उचित प्रतीत नहीं होता है। सूचना का अधिकार नागरिकों को दिया गया है जिसके माध्यम से वे आवश्यक सूचना प्राप्त करते हैं। एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग सर्वथा अनुचित है। इस आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव, बिहार को भेजी जाय जो इस प्रवृत्ति को रोक सकें तथा आवश्यक सुधार ला सकें। इसके साथ अपील की कार्रवाई बंद की जाती है। "

ह0/–

(अशोक कुमार सिन्हा)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक 20/4/2017

ज्ञापांक– 804 / रा0सू0आ0पटना,

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ लोक सूचना पदाधिकारी, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना/श्री अजय कुमार सिन्हा, फ्लैट नं0–102, विद्याकुंज अपार्टमेन्ट, यारपुर, पटना–1 को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय कृष्ण दास)

उप सचिव